

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT
प्रवर्तन अनुभाग / ENFORCEMENT SECTION

विक्रम साराभाई भवन/Vikram Sarabhai Bhavan,
दूसरा तल, उत्तरी स्कंध/2nd Floor, North Wing
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai-400 094

दूरभाष/Telephone : 25487217 / 25487267

August 18, 2020

Ref: DCSEM/Enft/4(4)/Ganesh Utsav

विषय : : कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु सुरक्षात्मक उपाय – गणेश उत्सव 2020 मनाने हेतु दिशा-निदेशों का पालन करने संबंधी

Sub: Preventive measures to contain the spread of Covid - 19 – Guidelines to be followed for celebrating Ganesh Utsav 2020 – regarding –

कोविड-19 के तीव्र गति से बढ़ते हुए मामलों एवं उसके प्रसार को रोकने के लिए , गणेश उत्सव 2020 आयोजन संबंधी गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अणुशक्तिनगर तथा पऊवि कॉलोनियों के निवासियों को विभागीय क्वार्टरों में गणेशजी की मूर्ति रखने तथा सार्वजनिक समारोह के आयोजनों लिए जारी दिशा-निर्देश निम्नवत हैं :

In view of the rapidly increasing no. of Covide -19 cases and to avoid the spread, Home Ministry, Maharashtra Government has issued guidelines & restrictions for celebrating Ganesh Utsav 2020. The guidelines for the residents of Anushaktinagar and other DAE Colonies for keeping Ganesh idol at Departmental Quarters & and also Sarvajanic Ganapati celebration are as follows:

A) विभागीय क्वार्टर में गणपति उत्सव समारोह Ganpati celebration at Departmental Quarter:

1. घर पर रखे जाने वाले गणेश की मूर्ति दो फिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

The height of Ganesh Idols placed at home shall be restricted to two feet.

2. जहां तक संभव हों, घर पर रखी जाने वाली गणेश मूर्ति धातु/संगमरमर की होनी चाहिए।

As far as possible, the Ganesh idols for home shall be of metal / marble.

3. यह सुझाव है कि अगले वर्ष के फरवरी माह के माघी गणेश चतुर्थी या आगामी गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान विसर्जन किया जाए।

It is suggested to consider immersion of idols during the Maghi Ganesh Chaturthi which falls in February or during the next year's Ganesh Chaturthi festival.

4. यदि मिट्टी की मूर्ति रखते हैं तो, उसे घर पर या नजदिक के कुएं / कृत्रिम तालाब में विसर्जित किया जाए (उदाहरण अणुशक्तिनगर कॉलोनी हेतु गोलकुंडा कुआँ/श्रीनिकेतन कृत्रिम तालाब)

If clay idols are placed, they should be preferable immersed at home or in nearby well /artificial ponds. (eg. Golconda well / sreeniketan artificial pond for Anushaktinagar Colony).

5. इस वर्ष गणेशजी की मूर्ति लाने एवं विसर्जन के दौरान शोभा-यात्रा की अनुमति नहीं है ताकि भीड़ इकट्ठा न हो सकें।

Processions to mark arrival and immersion of idol will not be allowed this year as they attract crowd.

6. प्रतिदिन आरती के दौरान भीड़ नहीं होनी चाहिए एवं ध्वनी प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। विसर्जन स्थल पर आरती का आयोजन नहीं किया जाएगा।

There should be no crowd during daily aarti and noise pollution norms must be followed. No aarti should be conducted at the immersion venue.

7. घर पर गणेशजी की मूर्ति रखने की सूचना ई-मेल के द्वारा अणुशक्तिनगर सुरक्षा एवं निसेसंप्रति प्रशासन को :
cso@dcsem.gov.in तथा cao@dcsem.gov.in ई-मेल पर दें।

Intimation to be given to Anushaktinagar security & DCSEM Administration by means of email communication for placing Ganesh Idols at home.

To: Anushaktinagar Security: cso@dcsem.gov.in

To DCSEM Administration: cao@dcsem.gov.in

8. बाहर से कोई आगंतुक/रिश्तेदारों को अनुमति नहीं है।
No visitors/ relatives from outside shall be permitted

B) सार्वजनिक गणपति Sarvajanic Ganpati:

1. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार गणेशजी की मूर्ति की ऊँचाई 4 फिट से कम होनी चाहिए व पंडाल खुले होने चाहिए।

Size of Ganesh idols must be below 4 feet as per the guidelines issued by state Government and the pandal should be open.

2. कोविड-19 महामारी के दौरान गणेश उत्सव आयोजन की अवधि डेढ़ दिन (एक व आधा दिन) की होगी।
Duration of celebrating Ganesh Utsav during Covid – 19 Pandemic is one and half day only.

3. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार गणेशजी की मूर्ति लाने एवं विसर्जन के दौरान शोभा-यात्रा नहीं निकलेगी।

No procession will be carried out on arrival / immersion as per the State Government issued guidelines.

4. सभी पंडालों में भक्तजनों के लिए हैंड सेनेटायझर रखे जाएंगे।

Hand sanitisers will be kept at all pandals for devotees.

5. गणेशजी की मूर्ति का विसर्जन टॉऊनशीप में बने कृत्रिम तालाब में किया जाएगा।


Immersion of Ganesh Idol will be carried out in Artificial Pond within Township.

6. बाहरी लोगों/आगंतुकों/वीआईपी लोगों को गणेश पंडालों में आने की अनुमति नहीं है।

No outsiders/visitors/VIP's will be allowed to visit Ganesh Pandals.

इसे निदेशक, निसेसंप्रति के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Director, DCSEM.


18/8/2020

मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

प्रति To

1. अणुशक्तिनगर तथा पऊवि कॉलोनियों के सभी निवासी
All residents of Anushaktinagar & other DAE Colonies –
2. सभी अनुरक्षण इकाईयां – झिब्रा द्वारा व्यापक प्रसार हेतु